हुक्म की तामाल
में जारी हुए

126/2022

19/12/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित है। वादीगण स्वयं भी अनुपस्थित है। पत्रावली अवलोकन पर पाया गया कि प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिव चरण चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया जा चुका था वकील प्रतिवादी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि पत्रावली की दर्ज दिनांक 28/9/2022 से आज दिनांक तक वादी अधिवक्ता द्वारा तामिली प्रतिवादीगण पूर्ण नहीं की गई है ना ही वादी अधिवक्ता या वादीगण स्वयं उपस्थित होते हैं। पूर्व में भी वकील वादी तथा वादीगण अनुपस्थित थे अतः वाद पत्र को सव्यय खारीज किया जावे। पत्रावली अवलोकन पर वकील प्रतिवादी के कथन सही पाये गये। वकील वादी तथा वादीगण स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाजे लगवाई गई; परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं हुये। अतः राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO, BHINAI
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)